Prices Equalisation Account. The process of finalising the liabilities of both the companies in accordance with the due process of Law is in progress.

अनुसूचित जाति के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश

*154. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री जगराम सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 दिसम्बर, 1990 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "फेक शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट्स इजोलो अवेलेबल" शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में जाली-प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुए दाखिलों के बारे में प्राप्त शिकायतों की कोई जांच करायी गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे दाखिलों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) उन दाखिलों की संख्या कितनी है जिनकी जांच करायी गयी थी तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रधानाचार्य, रामजस कालेज ने कक्षा XI की परीक्षा के जाली प्रमाण पत्रों/अंक तालिका के आधार पर इस वर्ष कालेज में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में 3 छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में जांच की थी । क्योंकि शिकायतों की पुष्टि हो गई थी अतः प्रधानाचार्य ने 22-8-1990 के आदेशों द्वारा इन तीनों छात्रों के दाखिले रद्द कर दिये थे । उन्होंने थाना अध्यक्ष, पुलिस थाना, दिल्ली विश्वविद्यालय से इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था ।

विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सदस्य श्री विजय गोयल ने थाना मौरिस नगर में 27-11-1990 को एफ. आई. आर. संख्या 103/90 यह आरोप लगाते हुए दर्ज कराई थी कि जिन तीन छात्रों के प्रवेश प्रधानाचार्य द्वारा रद्द कर दिये गये थे उनके समेत रामजस कालेज के सात छात्र इस वर्ष अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में जाली और झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर दाखिल किये गये थे । दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार एक मामला, आई. पी. सी. की धारा 420, 468, 471, 507 और 120-बी के अन्तर्गत दर्ज कर लिया गया है और अब तक 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वर्ष जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर हुए दाखिलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर कुलपति ने दिल्ली कालेजों के प्रधानाचार्यों को 4-12-1990 को एक अ. शा. पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मामले की गंभीरता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे अनियमित अथवा गैर कानूनी दाखिलों की शिकायतों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया और इसके बाद डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें यह निर्णय किया गया कि भविष्य में प्रधानाचार्यों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद् तथा अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिख कर छात्रों द्वारा अपने दाखिले के समय प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए कक्षा XI की परीक्षाओं के प्रकाशित परिणामों की प्रतियां प्राप्त करनी चाहिए ।

पिछले वर्षों में अपनाई गयी पद्धति के अनुसार विश्वविद्यालय ने अनुसूचित

जा./अनु.ज.जा. कोटे में 1990-91 में दाखिल छात्रों द्वारा प्रस्तुत अनु.जा./अनु.ज.जा. प्रमाण पत्रों की प्रतियां, ऐसे प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले प्राधिकारियों के पास इनका सत्यापन करने के लिए भेजने की कार्यवाही शुरु कर दी है।

DPEA Recovery from M/s. Hoechst

•155. CHOWDHARY RAM SEWAK:

SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2880 given in the Rajya Sabha on the 3rd September, 1990 and state:

(a) what are the main contents of the undertaking given by Hoechst in the Court;

(b) whether it is a fact that the company violated the undertaking and did not deposit the difference between the price fixed and price charged;

(c) if so, what steps were taken against the company for contempt of court;

(d) whether it is also a fact that the company has not so far even furnished the details as asked for by his Ministry for finalising the assess ment; and

(e) if so, what action has been taken for non-furnishing the details?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS' (SHRI SATYA' PRAKASH MALAVIYA): (a) The undertaking given by M|s. Hoechst to the Delhi High Court provided *inter-alia* that they shall within 8 weeks of dismissal of petition deposit in the Court the difference in the prices of formulations in question for being deposited in the Drugs Prices Equalisation Account.

(b) and (c) M|s. Hoechst India Ltd. have only made a part payment of Rs. 312. 10 lakhs which is to be adjusted eventually against the final liability arising out of the decision of the Supreme Court. Tentative liability upto December, 1983 was worked out and communicated to the company. They filed a writ petition in the Bombay High Court which in its interim order have stayed the recovery.

(d) and (e) The company have not furnished the details as asked for from them in respect of formulations based on the 5 bulk drugs in question for the period prior to 1983 and for bulk drugs as well as formula-lations for the period from 1st January, 1984 onwards. The company is being asked to make available the details and the matter is also proposed to be taken up before the Hon'ble High Court.